बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

शुद्धि पत्र

सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा

विज्ञापन सं॰ 03/2013 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय में सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सामान्य हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान विषयों क वस्तुनिष्ठ पत्रों के आदर्श उत्तर पर आपत्ति आमंत्रण हेतु आवश्यक सूचना दिनांक 25.12.2014 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त दोनों विषयों की प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला '**A**', '**B**', '**C**' एवं '**D**' के आदर्श उत्तर आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित करते हुए आपत्ति आमंत्रित किये गये थे।

2. कतिपय उम्मीदवारों द्वारा दूरभाष/ई–मेल के माध्यम से सामान्य ज्ञान विषय के कुछ प्रश्नों के आदर्श उत्तर गलत होने के सम्बन्ध में सूचना दी गई है। आयोग द्वारा इसकी जाँच की गयी और जाँचोपरान्त पाया गया कि उक्त विषय के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला '**A**' के प्रश्न संख्या 91 से लेकर 150 तक के प्रश्नों के उत्तर के क्रम संख्या में प्रिंटिंग भूल के चलते अन्तर हो जाने के कारण उनके आदर्श उत्तर गलत प्रकाशित हो गये थे जिसके लिए आयोग खेद प्रकट करता है। तदनुसार दिनांक 25.12.2014 को आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित सामान्य ज्ञान विषय के आदर्श उत्तर रद्द किये जाते हैं एवं सही आदर्श उत्तर पुनः प्रकाशित किया जाता है।

3. उक्त विषय की प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला '**A**', '**B**', '**C**' एवं '**D**' का संशोधित आदर्श उत्तर दिनांक 31.12.2014 से आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित (appeared) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि इस विषय के किसी भी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला के किसी भी प्रश्न के संशोधित आदर्श उत्तर पर किसी भी तरह की आपत्ति हो तो इस सम्बन्ध में प्रामाणिक स्त्रोत/साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति/सुझाव अपने नाम, अनुक्रमांक एवं पता के साथ संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 16.01.2015 की संध्या 5.00 बजे तक बिहार लोक सेवा आयोग में प्राप्त हो जाए। लिफाफा पर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम अवश्य लिखें। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जायगा।

पूर्व प्रकाशित आदर्श उत्तर के आलोक में जो उम्मीदवार अपना आपत्ति/सुझाव भेज चुक ह, उन्हें निरस्त समझा जाए। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे संशोधित आदर्श उत्तर के आलोक में पुनः अपना आपत्ति/सुझाव भेजें। इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की सूचना आयोग के हेल्पलाईन नं॰ 0612–2504353 से प्राप्त की जा सकती है।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना